न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-377RAAJodhpur2022-143RTA223 Omprakash ors Vs Budharam etc

01. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जी
02. हेताराम पुत्र बंशीलाल जी
03. सरूपी पत्नी बंशीलाल जी
    सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– श्री लक्ष्मण नगर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बुधा राम पुत्र हरीराम
2. हरीराम पुत्र फुसाराम
3. किशनाराम पुत्र हरीराम
4. भीखाराम पुत्र हरीराम
5. शांति पुत्री हरीराम
6. सनोती पुत्री हरीराम
7. रोशनी पुत्री हरीराम
   सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण– श्री लक्ष्मण नगर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
8. आईसीआईसीआई बैंक शाखा पुनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बापिणी, जिला फलोदी।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 195/2021 बुधाराम बनाम हरिराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री उम्मेदसिंह बावरला, श्री रमेश भादू, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ व दस

नि र्ण य

दिनांक : 18 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 195/2021 अनवान बुधाराम बनाम हरिराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 01 सिंतबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1206 रकबा 1.0926 हैक्टेयर, खसरा नं. 199 रकबा 1.8939 हैक्टेयर, खसरा नं. 215 रकबा 3.4560 हैक्टेयर, खसरा नं. 219 रकबा 2.5900 हैक्टेयर ग्राम श्री लक्ष्मणनगर, खसरा नं. 524 रकबा 1.4164 हैक्टेयर ग्राम सियागनगर, खसरा नं. 306 रकबा 2.1044 हैक्टेयर, खसरा नं. 420 रकबा 1.1331 हैक्टेयर, खसरा नं. 424 रकबा 4.5325 हैक्टेयर ग्राम विष्णपुरा, खसरा नं. 1417 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नं. 1418 रकबा 1.6673 हैक्टेयर ग्राम समराथलपुरा तहसील बापिणी के संबंध धारा 88, 89, 91 188, 92–ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी को अपनी पुश्तैनी भूमि होना बताते हुए वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में 1/14 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2022 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट्स को नोटिस भेजे, न ही उनकी विधिवत तामील करवायी है तथा दिनांक 07 जुलाई को ही अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अपनाते हुए उसी दिन रेस्पोडेंटस संख्या की साक्ष्य सबूत अभिलेख पर लिये बिना ही विधि–विरूद्ध तरीके से वाद डिक्री कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने वाद के समर्थन में किसी प्रकार का कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। कानूनन बिना प्रदर्श मार्क दस्तावेज को पढा नहीं जा सकता है। अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या दो के मध्य आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बहुत पहले बंटवाड़ा हो चुका है। बंटवाड़ा अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1206, 199, 215, 219, 1417 व 1418 पर अपीलांट्स का कब्जा व काश्त है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके पर अपीलांट्स की पक्की रहवासीय ढाणिया व पानी का टांका बना हुआ है। अपीलांट्स के हिस्से की भूमि के चारों तरफ तारबंदी व जाली की गई है, परन्तु राजस्व अभिलेख में बंटवाड़ा नही हुआ है। उपरोक्त भूमि पर रेस्पोडेंट्स का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उसके बावजूद विचारण न्यायालय ने वास्तविक व हकीकत तथ्यो पर गौर किये बिना एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वाद विचारण की प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किये जाने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 195/2021 अनवान बुधाराम बनाम हरिराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2022 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्से के रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित प्रावधानों अनुसार अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा बिना किसी आदेश के अपीलांट्स पर रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाने की पोस्टल रसीदात के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से छः की सहमति के आधार पर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 28 अप्रैल 2022 के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट्स के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 199 रकबा 1.8939 हैक्टेयर में अपने 1/2 हिस्से की भूमि में सें 04. 07 बीघा भूमि अपीलांट को बेचान करने का इकरार कर राशि रूपये चार लाख प्राप्त की जाकर मौके पर कब्जा अपीलांट्स को सुपुर्द किये जाने का कथन किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या दो द्वारा स्वयं के द्वारा निष्पादित इकरारनामा के तथ्यों को छुपाते हुए वादी से मिलावट करते हुए उसके वाद को स्वीकार कर अपनी सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवाया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री एकपक्षीय, मिलावटी एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 195/2021 अनवान बुधाराम बनाम हरिराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2022 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत मूल वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर